भारत सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4257
बुधवार, दिनांक 26 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>पूर्वोत्तर राज्यों में पीएम-एसजीएमबीवाई</u>

4257. डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजमः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रधानमंत्री-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीएमबीवाई) पूर्वोत्तर राज्यों में लागू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों के निवासियों से प्राप्त आवेदनों की संख्या कितनी है तथा इसके अंतर्गत मणिपुर को वर्षवार, राज्यवार और जिलावार कितनी राजसहायता प्रदान की गई है; और

(घ) मणिपुर में छत पर स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों की जिलावार संख्या कितनी है?

उत्तर
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) से (घ): नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय फरवरी, 2024 से पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश भर में प्रधानमंत्री सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजीः एमबीवाई) लागू कर रहा है। इस योजना का लक्ष्य वित्त वर्ष 2026-27 तक 75,021 करोड़ रु. के परिव्यय से आवासीय क्षेत्र में 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सौर की स्थापना करना है।

व्यक्तिगत घरों के लिए पीएमएसजीः एमबीवाई के अंतर्गत उपलब्ध केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रथम 2 किलोवाट पीक के लिए 30,000 रु. प्रति किलोवाट है और अतिरिक्त एक किलोवाट पीक के लिए 18,000 रु. प्रति किलोवाट पीक है। व्यक्तिगत घर के लिए सब्सिडी 3 किलोवाट पीक रूफटॉप सौर संयंत्र क्षमता तक सीमित है।

समूह आवासीय सोसाइटी/आवासीय कल्याण समिति (जीएचएस/आरडब्ल्यूए) के लिए सीएफए 18,000 रु. प्रति किलोवाट पीक है, जिसमें 500 किलोवाट पीक रूफटॉप सौर संयंत्र क्षमता सीमा है।

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर के राज्यों, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे विशेष श्रेणी के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में सीएफए 10% अधिक है।

दिनांक 19.03.2025 की स्थिति के अनुसार, योजना के राष्ट्रीय पोर्टल पर पूर्वोत्तर राज्यों से कुल 3.12 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा, रूफटॉप सौर संयंत्रों की स्थापना से कुल 10,689 परिवारों को योजना के तहत लाभान्वित हुए हैं और योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को सीएफए के रूप में कुल 55.51 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों का विवरण अनुलग्नक-**I** में दिया गया है। मणिपुर राज्य के लिए जिलेवार विवरण अनुलग्नक-**II** में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

'पूर्वोत्तर राज्यों में पीएम-एसजीएमबीवाई' के संबंध में पूछे गए दिनांक 26.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4257 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

पीएमएसजी:एमबीवाई के कार्यान्वयन का पूर्वोत्तर राज्य-वार विवरण (दिनांक 19.03.2025 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	आवेदन (संख्या)	लाभान्वित परिवार (संख्या)	जारी सीएफए (संख्या)	जारी सीएफए (करोड़ में)
1	अरुणाचल प्रदेश	94	-	-	-
2	असम	3,04,859	10,142	6,262	52.448
3	मणिपुर	772	220	154	1.313
4	मेघालय	2,050	18	16	0.083
5	मिजोरम	666	129	88	0.726
6	नागालैंड	245	8	6	0.046
7	सिक्किम	58	4	2	0.017
8	त्रिपुरा	3,533	168	106	0.886
	कुल	3,12,277	10,689	6,634	55.519

अनुलग्नक-II

'पूर्वोत्तर राज्यों में पीएम-एसजीएमबीवाई' के संबंध में पूछे गए दिनांक 26.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4257 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**II**

मणिपुर राज्य में पीएमएसजी: एमबीवाई के कार्यान्वयन का जिला-वार विवरण

(दिनांक 19.03.2025 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	ज़िला	आवेदन (संख्या)	लाभान्वित परिवार (संख्या)	जारी सीएफए (संख्या)	जारी सीएफए (लाख में)
1	बिश्नुपुर	34	1	1	0.86
2	चंदेल	1	0	0	0.00
3	छुरछंदपुर	33	0	0	0.00
4	इम्फाल पूर्व	210	78	55	46.87
5	इम्फाल पश्चिम	341	132	94	80.09
6	जिरीबाम	7	0	0	0.00
7	काकचिंग	36	5	0	0.00
8	कामजोंग	7	0	0	0.00
9	कांगपोकपी	12	0	0	0.00
10	नोनी	13	0	0	0.00
11	सेनापति	4	0	0	0.00
12	तामेंगलांग	3	0	0	0.00
13	टेंग्नौपाल	1	0	0	0.00
14	थौबल	59	4	4	3.43
15	उखरूल	11	0	0	0.00
	कुल	772	220	154	131.25

*****